FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

ज़िम्मेदार वानिकी के माध्यम से विश्व के वनों का संरक्षण करना:

FSC™ प्रमाणन मार्गदर्शिका

(Protecting the World's Forests through Responsible Forestry: A FSC™ Certification Guide)

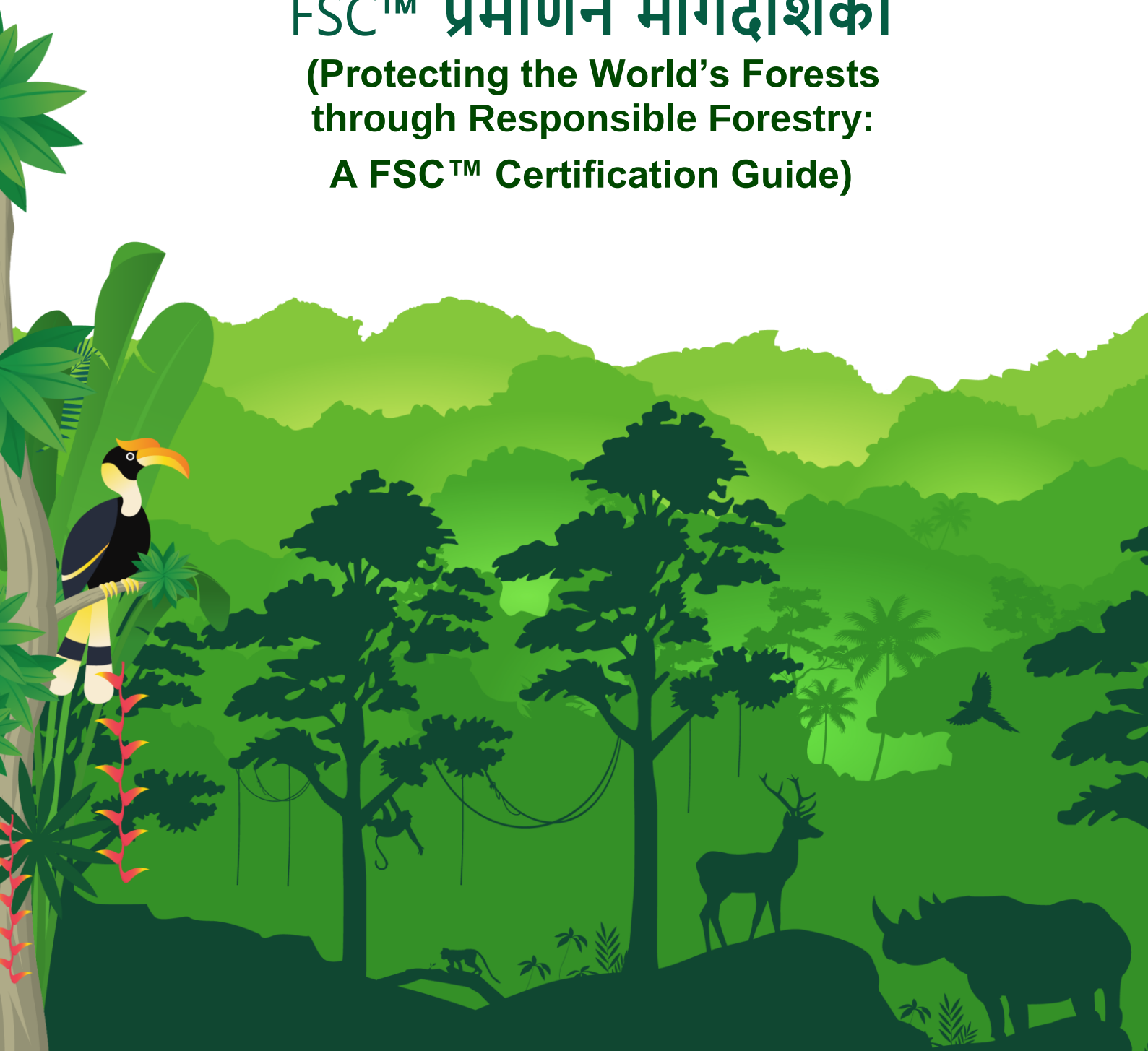

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

प्रस्तावना

इस डिजिटल मार्गदर्शन पुस्तिका में आपका स्वागत है! इस गाइड का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय लकड़ी, रबर व अन्य प्रकार के वन उत्पादों के लिए FSC प्रमाणन प्राप्त करने की तैयारी में व्यवसायों की सहायता करना है।

FSC प्रमाणन क्यों प्राप्त करना है?

वन ही पृथ्वी पर जीवन को पोषित करते हैं। Forest Stewardship Council™ (**FSC**™) – जो कि -23 करोड़ हेक्टरों से अधिक के प्रमाणित वन वाला एक गैर-लाभकारी सदस्यता संगठन है – एक ऐसा संधारणीय वानिक समाधान है, जिस पर एनजीओ, उपभोक्ता और व्यवसाय भरोसा करते हैं ताँकि हम सभी के लिए वनों के स्वास्थ्य और लचीलेपन को हमेशा-हमेशा के लिए बरकरार रखा जा सके।

आज विश्वभर के उपभोक्ता इस बात को लेकर अधिक जागरूक और चिंतित हो गए हैं कि उनके द्वारा खरीदे गए उत्पाद आख़िर कहाँ से आए हैं। साथ ही, बड़ी-छोटी सभी कंपनियाँ अपनी आपूर्ती श्रृंखला और निर्माण प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पहले से अधिक प्रतिबद्ध हो गई हैं।

FSC का प्रमाणन इस बात का आश्वासन होता है कि वन उपज – जैसे लकड़ी, लुगदी, रबर, या कुछ और - से बनी किसी भी चीज़ को पर्यावरण या वन समुदायों को नुकसान पहुंचाए बिना संधारणीय ढंग से प्राप्त किया गया है। **FSC** "चेक ट्री" लेबल उपभोक्ताओं को बिल्कुल ऐसा ही आश्वासन देने वाला एक विश्वसनीय चिह्न है।

अनुसंधान से यह पता चला है कि **FSC** प्रमाणित व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक की बेहतर पहुँच, अधिक आय, अपनी सार्वजानिक छवि में एक सकारात्मक सुधार और यहाँ तक कि एक बेहतर प्रबंधन जैसे फायदे देखने को

व्यावसायिक फायदों के बारे में अधिक जानें।

FSC : आपके व्यवसाय और विश्व के वनों की भलाई के लिए

FSC क्या है?

Forest Stewardship Council (**FSC**) विश्वभर में ज़िम्मेदार वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक, गैर-लाभकारी संगठन है। 1994 में स्थापित हमारे संगठन की प्रमाणन योजनाएँ इस बात का आश्वासन होती हैं कि वन उत्पादों को ज़िम्मेदार ढंग से प्रबंधित और एकत्रित किया जाता है। **FSC** लेबल व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले वन उत्पादों के बारे में सही फैसले लेने में सक्षम बनाता है। साथ ही, एक बड़े पैमाने पर बाज़ार को जोड़कर यह उन्हें एक वास्तविक प्रभाव डालने की शक्ति भी देता है, जैसे कि वन्यजीवों का संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन में कमी लाना, व श्रमिकों और समुदायों के जीवन में सुधार लाना – ताँकि हम **"वन, सभी के लिए, हमेशा के लिए"** के अपने सपने को साकार कर सकें।

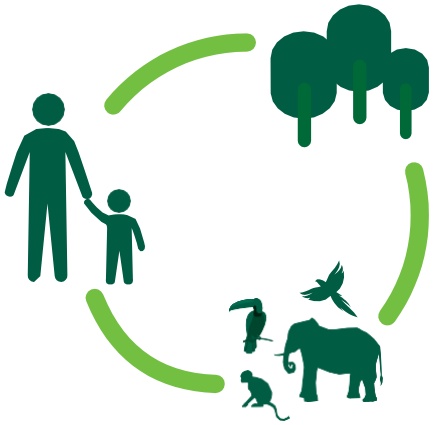

FSC वैश्विक प्रभाव

232,377,101+

विश्वभर में इतने हेक्टर वनों का FSC मानकों के अनुकूल प्रबंधन किया जाता है

163,380+

विश्वभर के लघु धारक

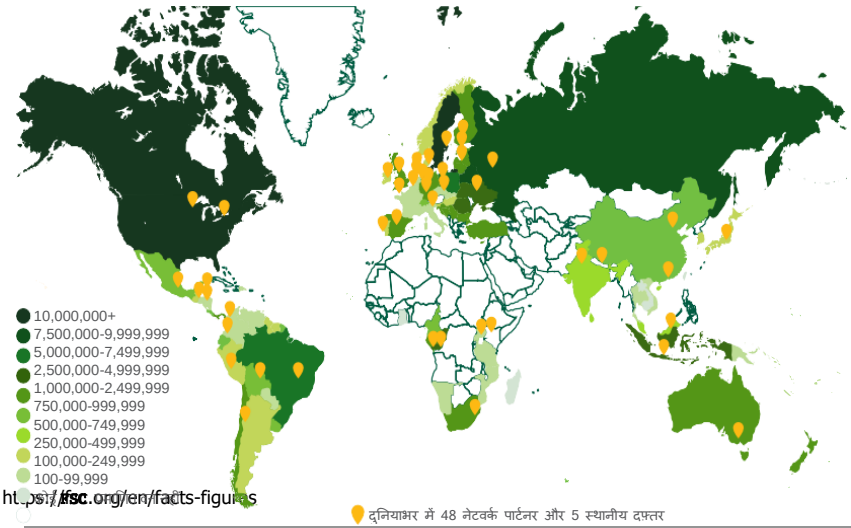

1418+

सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चैम्बर से आने वाले FSC सदस्य विश्वभर के वनों को लोकतांत्रिक रूप से चलाने में मदद करते हैं

51,295+

FSC COC प्रमाण-पत्र

140 देश

ठोस विकास

1 मई 2021 तक आशिया पैसिफ़िक क्षेत्र में

65%+
वियतनाम में **FSC** प्रमाणित वन क्षेत्र

54%+
इंडोनेशिया में **FSC** प्रमाणित वन क्षेत्र

124%+
वियतनाम में **FSC COC** प्रमाण-पत्र

218%+
चीन में **FSC COC** प्रमाण-पत्र

FSC प्रमाण-पत्रों से आपके व्यवसाय को क्या लाभ होता है?

आपके ब्रैंड की छवि बेहतर हो जाती है

FSC के सम्मान और विश्वसनीयता का कारण हैं उसके उच्चतम मानक, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको मिलने वाले उत्पाद ज़िम्मेदारी से चलाए जाने वाले प्रमाणित वनों से ही आ रहे हैं। 90% **FSC** प्रमाण-पत्र धारक इस बात से सहमत हैं कि **FSC** प्रमाणन एक सकारात्मक कॉर्पोरेट इमेज बनाने में मददगार साबित होता है।

आपके उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है

नीलसन की वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार स्थिरता के लिए प्रमाणित प्रतिबद्धता वाले ब्रैंड्स के उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री में 4% से अधिक की बढ़ोतरी आई, जबकि अन्य ब्रैंड्स की बिक्री में 1% से भी कम की बढ़ोतरी आई। 66% उपभोक्ताओं का कहना है कि किसी स्थिरतावाले ब्रैंड के लिए थोड़े अधिक पैसे देने में उन्हें कोई हर्ज़ नहीं है।

बाज़ार तक आपकी पहुँच बढ़ जाती है

FSC फौर्च्युन 500 कंपनियों की पसंदीदा प्रमाणन योजना है। वैश्विक स्तर पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ सहयोग करने में हमने कई लघु धारकों और स्थानीय कंपनियों का समर्थन किया है।

हम साझेदारी पर ध्यान केंद्रीत करते हैं

FSC 120 से अधिक बाज़ारों में सक्रिय है। अपने प्रमाण-पत्र धारकों को हम विपणन टूलकिट और ऑनलाइन डेटाबेस उपलब्ध कराते हैं, व हमारे नेटवर्क पार्टनर और स्थानीय कार्यालय आंतरिक प्रशिक्षण से लेकर ख़ास आपके व्यवसाय के लिए बनाए गए अभियान के रूप में अपना सहयोग देते हैं।

FSC प्रमाणन के प्रकार

FSC के ज़िम्मेदार वानिक मानक कड़े प्रमाणनों से जुड़े हुए हैं। खुदरा विक्रेताओं के लिए दो प्रमुख तरह के प्रमाणन व एक प्रमोशनल अनुज्ञप्ति भी होता है:

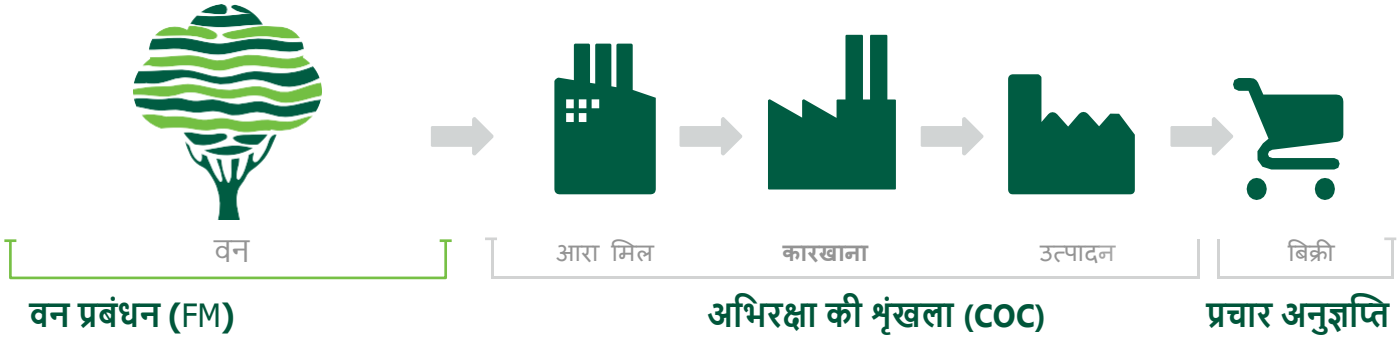

वन प्रबंधन (FM)

FM प्रमाणन प्राकृतिक और बागान वनों के ज़िम्मेदार प्रबंधन के लिए मानक निर्धारित करता है।
FM प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि किसी वन का प्रबंधन एक ऐसे ढंग से किया जा रहा है, जिससे उसकी जैविक विविधता को संरक्षित करते हुए स्थानीय लोगों और श्रमिकों के जीवन में सुधार लाया जा सके। साथ ही, वह यह भी सुनिश्चित करता है कि वन प्रबंधन इकाई आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।

अभिरक्षा की श्रृंखला (COC)

COC प्रमाणन उन संस्थाओं पर लागू होता है – मुख्य रूप से कंपनियों पर – जो FSC -प्रमाणित लकड़ी या उससे व्युत्पन्न सामग्री की प्रक्रिया, उसका व्यापार या उसका निर्माण करती हैं। COC प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि आपूर्ती श्रृंखला के दौरान **FSC**-प्रमाणित सामग्री की पहचान कर उसे गैर-प्रमाणित व अनियंत्रित सामग्री से अलग कर दिया गया है। कोई भी संगठन COC प्रमाणन प्राप्त कर सकता है, जिसमें उद्योग, व्यापारी, प्रक्रिया करनेवाले और वितरक, सभी शामिल हैं।

FSC प्रमाणन की आवश्यकता किसे होती है?

वानिक प्रबंधकों के लिए FM **प्रमाणन** प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

मूल से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता तक, आपूर्ती श्रृंखला के किसी भी चरण के दौरान किसी उत्पाद का स्वामित्व हासिल करने वाली किसी भी कंपनी के लिए आपूर्ती श्रृंखला की अगली कंपनी को एक **FSC** दावा जताने के लिए **FSC** प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। **FSC** प्रमाणित उत्पादों का निर्माण या उनमें व्यापार करनेवाली कंपनियों को COC **प्रमाणन** लेना होता है।

जिन संगठनों को **FSC** प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो FSC लेबलवाले परिष्कृत उत्पादों की खरीददारी करते हैं, वे प्रचार हेतु FSC व्यापार-चिह्न का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में, उन्हें एक प्रचार अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यवसाय किसी **FSC** प्रमाणित कंपनी से **FSC** लेबलवाले परिष्कृत उत्पादों की खरीददारी कर उन उत्पादों की आगे बिक्री करता है, तो उसे **प्रचार अनुज्ञप्ति** लेनी पडती है, बिल्कुल उन्हीं व्यवसायों की तरह जो **FSC** प्रमाणित उत्पादों का उपयोग तो करते हैं लेकिन उनकी बिक्री नहीं करते व इस बात का प्रचार करना चाहते हैं।

FSC प्रमाणन कैसे प्राप्त किया जा सकता है

FSC प्रमाणन प्राप्त करने में केवल पाँच चरण शामिल होते हैं:

विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें

सीबी खोजें

1. नज़दीकी **FSC** से मान्यता प्राप्त प्रमाणन संस्थाओं (सीबी) से संपर्क कर उन्हें कुछ बुनियादी जानकारी प्रदान करें **FSC** एक उद्धरण का अनुरोध करें। नज़दीकी प्रमाणन प्राधिकरणों की सूची को इस खोज टूल के माध्यम से देखी जा सकता है।

2. अपने चयनित सीबी में एक प्रमाणन आवेदन जमा करें।

3. यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास FSC मानकों के अनुकूल एक उपयुक्त दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली है।

4. अपनी चयनित प्रमाणन संस्था से एक ऑन-साइट ऑडिट शेड्यूल कराके उसे पूरा करवा लें। इससे यह पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी पूरी तरह FSC मानकों की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं। इसमें ऑडिट शुल्क लगेगा, जो आपकी सीबी पर निर्भर करता है।

5. एक सकारात्मक प्रमाणन निर्णय के पश्चात् आपको एक FSC प्रमाण-पत्र मिल जाएगा, जो 5 वर्ष के लिए वैध होगा। आपको एक वार्षिक ऑडिट भी करवाना होगा, ताँकि आपके प्रमाण-पत्र की जाँच करके यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप FSC मानकों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं।

आपके बिक्री वाले दस्तावेज़ों पर एक FSC प्रमाण-पत्र कोड, जैसे कि सीबी-COC-######, प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जबकि FSC प्रमाणित उत्पादों और प्रचार सामग्री वाले FSC लेबल पर FSC -C###### जैसा एक अनुज्ञप्ति कोड दिखाया जाना चाहिए।

FSC लेबल प्रमाण-पत्र धारकों द्वारा FSC व्यापार-चिह्न पोर्टल पर उत्पन्न किया जाता है व उनके सीबी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया FSC -एसटीडी-50-001 आवृत्ती 2.0 प्रमाण-पत्र धारकों द्वारा FSC व्यापार-चिह्न की उपयोग-संबंधी आवश्यकताएँ व इस दस्तावेज़ का मॉड्यूल 3 देखें।

वार्षिक प्रशासन शुल्क (AAF)

यह वह वार्षिक शुल्क होता है, जो FSC द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन संस्थाओं (सीबी) से लिया जाता है। इसका हिसाब किसी प्रमाण-पत्र धारक के पोर्टफोलियो के आधार पर लगाया जाता है। AAF का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर FSC प्रणाली के प्रमुख कार्यों का समर्थन करना होता है। प्रमाणन संस्थाएँ यह धनराशि प्रमाण-पत्र धारकों से वसूलती हैं, जिसके लिए उन्हें इस शुल्क का ज़िक्र अपने-अपने बिल में साफ़-साफ़ करना होता है।

AAF नीति की साल-दर-साल समीक्षा कर इसमें संशोधन किया जाता है ताँकि वैश्विक महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए इसे नयी-नयी FSC रणनीतियों या नीतियों के अनुकूल किया जा सके। AAF पर अधिक जानकारी के लिए कृपया पूरी नीति पढ़ लें।

संपूर्ण नीति

कोई सवाल या दुविधा है? हमसे बात करें!

blogapac.fsc.org

FSC_APAC

FSC Asia Pacific

FSCAsiaPacific

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

मॉड्यूल 1

वन प्रबंधन प्रमाणन

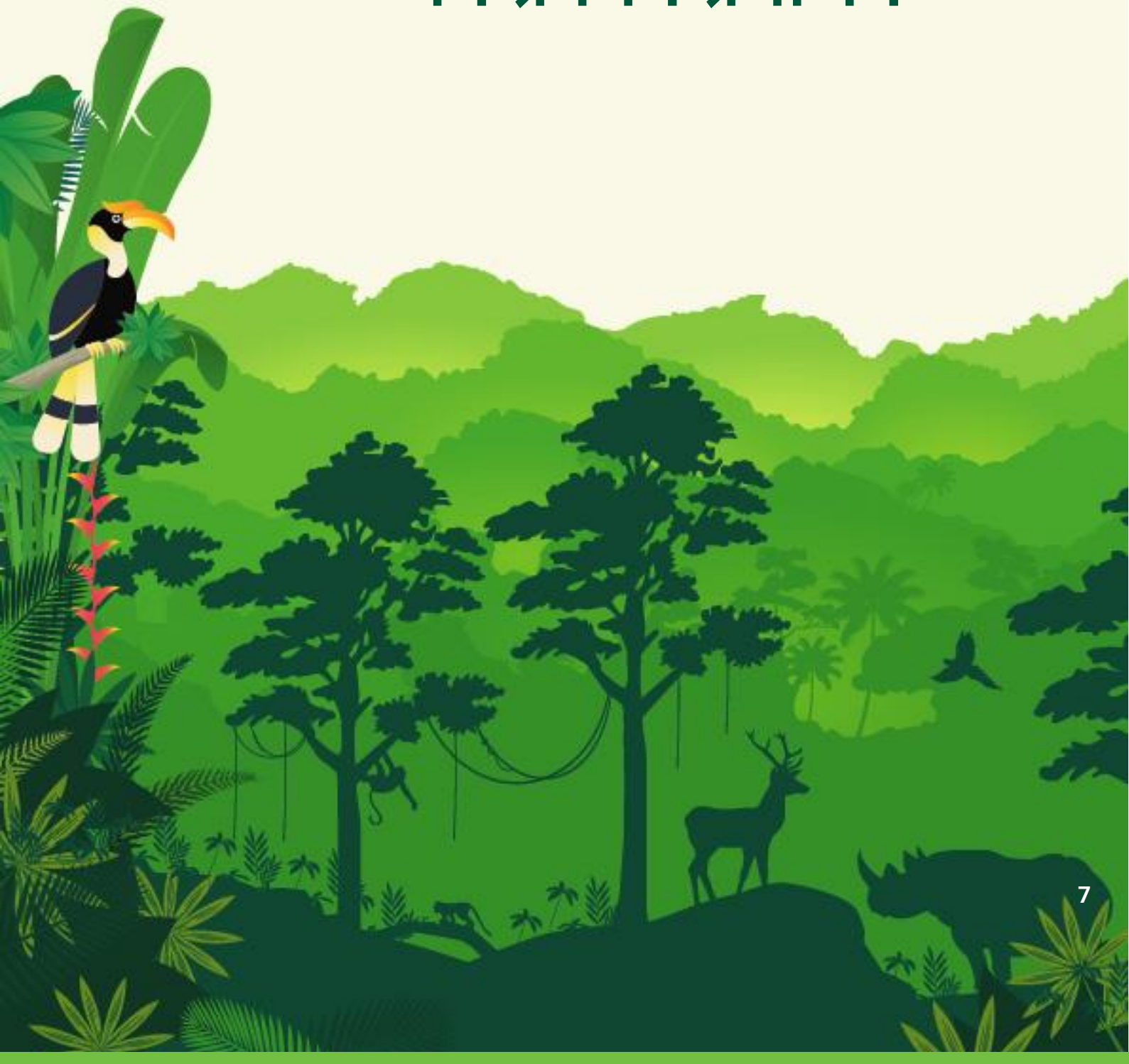

FSC के 10 सिद्धांत

कानूनी पहलू **9**

- सिद्धांत 1: कानूनों का अनुपालन 9

पर्यावरणीय पहलू **11**

- सिद्धांत 6: पर्यावरणीय मूल्य और उनके प्रभाव 11
- सिद्धांत 8: निगरानी और मूल्यांकन (पर्यावरणीय) 14
- सिद्धांत 9: उच्च संरक्षण मूल्य 15

सामाजिक पहलू **17**

- सिद्धांत 2: श्रमिकों के अधिकार और रोज़गार शर्तें 17
- सिद्धांत 3: मूलनिवासियों के अधिकारों वाला सिद्धांत 19
- सिद्धांत 4: सामुदायिक संबंध 21
- सिद्धांत 8: निगरानी और मूल्यांकन (सामाजिक) 23

प्रबंधन-संबंधी/आर्थिक पहलू **24**

- सिद्धांत 5: वन के फायदे 24
- सिद्धांत 7: प्रबंधन योजना 25
- सिद्धांत 10: प्रबंधन गतिविधियों का कार्यान्वयन 26

FSC की अहम वानिकी नीतियाँ और मानक **29**

गैर-लकड़ी वन उत्पादों के लिए लघु धारक व समूह प्रमाणन की तैयारी करना **32**

प्रमाणन-संबंधी अन्य महत्त्वपूर्ण बातें **33**

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

FSC के 10 सिद्धांत

FSC प्रमाणन की नींव हमारे सिद्धांत और मानदंड हैं। हमारे दस सिद्धांतों – वन प्रबंधन के इन "नियमों" को चार वर्गों में विभाजित किया गया है: कानूनी, पर्यावरणीय , सामाजिक, और प्रबंधन-संबंधी/आर्थिक। इन सिद्धांतों का सरल भाषा में वर्णन, नीचे किया गया है व साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रत्येक सिद्धांत के अनुपालन के लिए कौन-कौनसे मानदंड हैं।

सभी सिद्धांतों और मानदंडों के विस्तृत विवरण के लिए बटन पर क्लिक करें

कानूनी पहलू

सिद्धांत 1: कानूनों का अनुपालन

प्रमाणित संगठन को सभी उपयुक्त कानूनों, विनियमों और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसमर्थित अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और अनुबंधों का पालन करना चाहिए।

मानदंड:

1.1 उस संगठन को एक स्पष्ट, प्रमाणित व अविवादित कानूनी पंजीकरण वाली, कानूनी तौर पर परिभाषित इकाई होना चाहिए, व उसके पास विशिष्ट गतिविधियों हेतु किसी कानूनी प्राधिकरण का लिखित अनुमोदन होना चाहिए।

1.2 संगठन को यह दिखाना चाहिए कि प्रबंधन इकाई की कानूनी स्थिति स्पष्ट है, जिसमें उसकी भूसंपत्ति, अधिकार और सीमाएँ भी शामिल हैं।

सिद्धांत 1: कानूनों का अनुपालन (जारी)

1.3 संगठन के पास प्रबंधन इकाई में काम करने के कानूनी अधिकार होने चाहिए। कानूनी अधिकारों में प्रबंधन इकाई द्वारा उत्पादों की कटाई और/या इकोसिस्टम सेवाआपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

1.4 संगठन को उपायों को विकसित कर उन्हें लागू करना चाहिए और/या नियामक एजेंसियों के साथ काम करते हुए प्रबंधन इकाई संसाधनों के अनधिकृत या गैरकानूनी इस्तेमाल, उपनिवेशण एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से रक्षा करनी चाहिए।

1.5 संगठन को उपयुक्त राष्ट्रीय कानूनों, स्थानीय कानूनों, अनुसमर्थित अंतरराष्ट्रीय समझौतों व उस अनिवार्य संहिता का अनुपालन करना चाहिए, जिसका संबंध प्रबंधन इकाई से लेकर बिक्री के पहले बिंदु तक वन उत्पादों के परिवहन और व्यापार से है।

1.6 संगठन को वैधानिक अथवा प्रथागत कानून से जुड़े मुद्दों की पहचान कर उनकी रोकथाम और समाधान करना चाहिए। यदि विवादों का निपटारा अदालत के बाहर, प्रभावित हिस्सेदारों की सहमति से, समय पर हो सके तो यह बेहतर होगा।

1.7 संगठन को धन का लेन-देन न करने अथवा किसी भी भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित न होने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता अपनानी होगी, व उसे भ्रष्टाचार-विरोधी कानून का अनुपालन करते हुए अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों को लागू करना होगा।

1.8 संगठन को प्रबंधन इकाई और संबंधित FSC नीतियों और मानकों के FSC सिद्धांतों और मानदंडों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। इस प्रतिबद्धता को सार्वजानिक तौर पर उपलब्ध किसी दस्तावेज़ में एक बयान के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

पर्यावरणीय पहलू

सिद्धांत 6: पर्यावरणीय मूल्य और उनके प्रभाव

प्रमाणित संगठन को इकोसिस्टम सेवाओं और पर्यावरणीय मूल्यों को बनाए रखना, उन्हें संरक्षित करना और/या उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहिए, व नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की भरपाई करनी चाहिए या फ़िर उन्हें कम कर देना चाहिए।

मानदंड:

6.1 संगठन को प्रबंधन इकाई के पर्यावरणीय मूल्यों एवं प्रबंधन इकाई के बाहर के उन मूल्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, जो संभवतः प्रबंधन गतिविधियों से प्रभावित हुए हों।

6.2 साइट को अस्तव्यस्त करने वाली गतिविधियों को शुरू करने से पहले, संगठन को पहचान किए गए पर्यावरणीय मूल्यों पर प्रबंधन गतिविधियों के संभावित प्रभावों के पैमाने, तीव्रता और जोखिम की पहचान कर उनका मूल्यांकन करना चाहिए।

6.3 संगठन को पर्यावरणीय मूल्यों पर प्रबंधन गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों की रोकथाम करने वाली प्रभावी कार्यवाही की पहचान कर उसे लागू करना चाहिए व घटित होने वाले प्रभावों को कम कर उनकी भरपाई करनी चाहिए।

6.4 संगठन को संरक्षण क्षेत्रों, सुरक्षा क्षेत्रों, संयोजकता और/या अन्य सीधे उपायों के माध्यम से प्रबंधन इकाई में दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा व उनके अस्तित्व और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये उपाय प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने, तीव्रता एवं जोखिम के साथ-साथ किसी भी अन्य दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति की संरक्षण स्थिति और इकोलॉजिकल आवश्यकताओं के अनुपात में होने चाहिए।

सिदधांत 6: पर्यावरण-संबंधी मूल्य और उनके प्रभाव (जारी)

6.5 संगठन को स्थानीय इकोसिस्टम के प्रतिनिधि सैंपल क्षेत्रों की पहचान कर उनकी रक्षा करनी चाहिए और/या उन्हें उनकी प्राकृतिक अवस्था में बहाल कर देना चाहिए। यदि प्रतिनिधि सैंपल क्षेत्र न हों या फ़िर अपर्याप्त हों तो संगठन को प्रबंधन इकाई के अनुपात को एक अधिक प्राकृतिक अवस्था में बहाल कर देना चाहिए।

6.6 संगठन को प्रबंधन इकाई में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों और जीनोटाइप के निरंतर अस्तितिव को प्रभावी ढंग से बरक़रार रखना चाहिए व आवास प्रबंधन के माध्यम से जैविक विविधता को होने वाले नुकसान की रोकथाम करनी चाहिए। संगठन को यह दिखाना चाहिए कि शिकार करने, मछली पकड़ने, जाल बिछाने, व जानवर एकत्रित करने के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु कारगर उपाय किए गए हैं।

6.7 संगठन को प्राकृतिक जल-परवाह, जल निकायों एवं तटीय इलाकों व उनकी कनेक्टिविटी की रक्षा अथवा उन्हें बहाल करना चाहिए। संगठन को पानी की गुणवत्ता एवं मात्रा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए व ऐसे प्रभाव होने पर उनकी मरम्मत करनी चाहिए।

6.8 संगठन को स्थानीय लैंडस्केप मूल्यों से मेल खाने वाली प्रजातियों, आकारों, आयु, स्थानिक पैमानों व रीजैनरेशन चक्रों को बरक़रार रखने और/या उन्हें बहाल करने एवं पर्यावरणीय व आर्थिक लचीलेपन में सुधार लाने के लिए प्रबंधन इकाई में लैंडस्केप का प्रबंधन करना चाहिए।

सिदधांत 6: पर्यावरण-संबंधी मूल्य और उनके प्रभाव (जारी)

6.9 संगठन प्राकृतिक वनों को बागानों या जमीन के गैर-वन भूमि वाले उपयोगों में परिवर्तित नहीं कर सकता, व न ही वह प्राकृतिक वनों या फ़िर किसी प्राकृतिक वन अथवा सीधे किसी प्राकृतिक वन से बदले गए बागानों को परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते वह परिवर्तन:

- प्रबंधन इकाई के एक काफ़ी सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता हो;
- स्पष्ट, पर्याप्त, अतिरिक्त एवं सुरक्षित दीर्घकालिक संरक्षण लाभ उत्पन्न करता हो; और
- उच्च संरक्षण मूल्यों को हानि न पहुँचाता हो या फ़िर उन्हें जोखिम में न डालता हो।

6.10 नवंबर 1994 के बाद प्राकृतिक वन से परिवर्तित क्षेत्रों में स्थापित बागानों वाली प्रबंधन इकाइयाँ प्रमाणन के योग्य नहीं हैं, बशर्ते:

- इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परिवर्तन के लिए संगठन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार नहीं था, या फ़िर
- परिवर्तन ने प्रबंधन इकाई के एक सीमित क्षेत्र को ही प्रभावित किया व उससे स्पष्ट, पर्याप्त, अतिरिक्त एवं सुरक्षित दीर्घकालिक संरक्षण लाभ उत्पन्न हो रहे हैं।

पर्यावरणीय पहलू (जारी)

सिद्धांत 8: निगरानी और मूल्यांकन (पर्यावरणीय)

प्रमाणित संगठन को पर्यावरण प्रबंधन उद्देश्यों की दिशा में की गई प्रगति को प्रदर्शित करते हुए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रबंधन गतिविधियों के प्रभावों की निगरानी कर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

मानदंड:

8.1 संगठन को नीतियों एवं उद्देश्यों, प्रगति एवं लक्ष्य प्राप्ति सहित अपनी प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए

8.2 संगठन को प्रबंधन इकाई में की गई गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों एवं पर्यावरण की स्थिति में आए बदलावों की निगरानी कर उनका मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

8.3 संगठन को निगरानी एवं मूल्यांकन नतीजों का विश्लेषण कर योजना प्रक्रिया में इन परिणामों का उपयोग करना चाहिए।

8.4 संगठन को निगरानी के नतीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उन्हें निःशुल्क सार्वजानिक तौर पर उपलब्ध कराना चाहिए (लेकिन गोपनीय जानकारी को इससे बाहर रखा जाना चाहिए)।

8.5 संगठन को एक ट्रैकिंग और ट्रेसिंग प्रणाली लागू करनी चाहिए। इस प्रणाली में FSC प्रमाणित के तौर पर विपणन किए गए प्रबंधन इकाई के सभी उत्पादों के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुमानित कुल उत्पादन के अनुपात में कच्चे माल के स्रोत और मात्रा को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

पर्यावरणीय पहलू (जारी)

सिद्धांत 9: उच्च संरक्षण मूल्य (HCV)

प्रमाणित संगठन को एक एहतियाती दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च संरक्षण मूल्यों को बरकरार रखना चाहिए और/या उनमें सुधार लाना चाहिए। इनमें प्रजातीय विविधता, लैंडस्केप स्तरीय इकोसिस्टम, आवास, सामुदायिक आवश्यकताएँ व सांस्कृतिक मूल्य शामिल हैं।

मानदंड:

9.1 संगठन को अपने हिस्सेदारों के साथ मिलकर व अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रबंधन इकाई के निम्न उच्च संरक्षण मूल्यों की उपस्थिति और स्थिति का मूल्यांकन कर उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए:

एचसीवी1

प्रजातीय विविधता – वैश्विक, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अहम स्थानिक प्रजातियों एवं दुर्लभ, संकटग्रस्त अथवा लुप्तप्राय प्रजातियों समेत जैव-विविधता बाहुलता

HCV2

लैंडस्केप-स्तरीय इकोसिस्टम और मोज़ेक – वे अक्षत वन लैंडस्केप, बड़े लैंडस्केप-स्तरीय इकोसिस्टम और इकोसिस्टम मोज़ेक, जो वैश्विक, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अहमियत रखते हैं, व जिनमें वितरण और बहुतायत के प्राकृतिक पैटर्नों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली प्रजातियों की व्यवहार्य आबादी शामिल है।

सिदधांत 9: उच्च संरक्षण मूल्य

HCV3

इकोसिस्टम और आवास – दुर्लभ, संकटग्रस्त, अथवा लुप्तप्राय इकोसिस्टम, आवास अथवा पनाह।

HCV4

महत्त्वपूर्ण इकोसिस्टम सेवाएँ – बुनियादी महत्त्वपूर्ण इकोसिस्टम सेवाएँ, जिनमें जलग्रहण एवं कमज़ोर मिट्टी और ढलानों का भूक्षरण नियंत्रण शामिल हैं।

HCV5

सामुदायिक आवश्यकताएँ – स्थानीय समुदायों अथवा मूलनिवासियों की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी साइट एवं संसाधन। इनमें आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, जल व अन्य उपाय शामिल हैं।

HCV5

सांस्कृतिक मूल्य – वैश्विक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक अथवा ऐतिहासिक अहमियत रखने वाली और/या स्थानीय समुदायों अथवा मूलनिवासियों की पारंपरिक संस्कृतियों के लिए अहम सांस्कृतिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक अथवा धार्मिक स्थल, संसाधन, आवास और लैंडस्केप।

9.2 संगठन को हिस्सेदारों एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर पहचान किए गए उच्च संरक्षण मूल्यों को बरकरार रखते हुए उनमें सुधार लाने वाली कारगर रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए।

सिदधांत 9: उच्च संरक्षण मूल्य

9.3 संगठन को, पहचान किए गए उच्च संरक्षण मूल्यों को बरकरार रखते हुए उनमें सुधार लानेवाली रणनीतियों और कार्यवाहियों को लागू करना चाहिए। इनमें एहतियाती दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए व इन्हें प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने, तीव्रता व जोखिम के अनुपात में होना चाहिए।

9.4 संगठन को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उच्च संरक्षण मूल्यों की स्थिति में आए बदलावों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित तौर पर निगरानी की जाती है व अपनी प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित कर वह कारगर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। निगरानी में हिस्सेदारों और विशेषज्ञों का सहयोग भी शामिल होना चाहिए।

सामाजिक पहलू

सिद्धांत 2: श्रमिकों के अधिकार और रोज़गार शर्तें

प्रमाणित संगठन को लैंगिक समानता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं, उचित वेतन प्रथाओं व अन्य उपायों के माध्यम से श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बरकरार रखना चाहिए अथवा उसमें सुधार लाना चाहिए।

मानदंड:

2.1 संगठन को आयएलओ घोषणापत्र में परिभाषित कार्यस्थल के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों (1998) के अनुसार श्रमिकों के सिद्धांतों एवं अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए।

2.2 संगठन को रोज़गार प्रथाओं, प्रशिक्षण अवसरों, अनुबंधों को प्रदान करने, सहयोग की अपनी प्रक्रियाओं व प्रबंधन गतिविधियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए।

सिद्धांत 2: श्रमिकों के अधिकार और रोज़गार शर्तें (जारी)

2.3 संगठन को श्रमिकों की रक्षा हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं को लागू करना चाहिए। इन प्रथाओं को वन कार्यों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर आयएलओ की अभ्यास संहिता में दी सिफारिशों को या तो पूरा करना चाहिए या फ़िर उनसे अधिक होना चाहिए।

2.4 संगठन को वन उद्योग मानकों अथवा मान्यता प्राप्त अन्य वन उद्योग वेतन समझौतों अथवा जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन, जब यह कानूनी न्यूनतम वेतन से अधिक हो, के बराबर या उससे अधिक वेतन अदा करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी मानक उपलब्ध न हो तो संगठन को श्रमिकों के साथ मिलकर जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन को निर्धारित कर लेना चाहिए।

2.5 संगठन को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि प्रबंधन योजना व सभी प्रबंधन गतिविधियों को सुरक्षित और कारगर ढंग से लागू करने के लिए श्रमिकों को उनके काम के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण लागू कराए गए हैं।

2.6 श्रमिकों के साथ मिलकर संगठन को शिकायतों का समाधान करने एवं संगठन के लिए काम करते हुए संपत्ति को पहुँचने वाले नुकसान, व्यावसायिक रोगों अथवा व्यावसायिक चोटों का उचित क्षतिपूर्ति देने लिए तंत्र विकसित कर लेने चाहिए।

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

सामाजिक पहलू

सिद्धांत 3: मूलनिवासियों के अधिकार

प्रमाणित संगठन मूलनिवासियों के स्वामित्व व प्रबंधन गतिविधियों से प्रभावित भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के उपयोग एवं प्रबंधन से संबंधित कानूनी एवं प्रथागत अधिकारों की पहचान कर उन्हें बरकरार रखेगा।

मानदंड:

3.1 संगठन को प्रबंधन इकाई में रहने वाली अथवा प्रबंधन गतिविधियों से प्रभावित मूलनिवासियों की पहचान कर लेनी चाहिए। उनके साथ मिलकर संगठन को उनके भूसंपत्ति के अधिकारों, वन संसाधनों एवं इकोसिस्टम सेवाओं की उनकी पहुँच एवं उपयोग के अधिकारों, प्रथागत अधिकारों, एवं प्रबंधन इकाई में लागू होने वाले उनके कानूनी अधिकारों एवं दायित्वों की पहचान कर लेनी होगी। संगठन को उन क्षेत्रों की पहचान भी कर लेनी चाहिए, जहाँ इन अधिकारों को चुनौती दी गई है।

3.2 संगठन को प्रबंधन इकाई के अंदर अथवा उससे संबंधित प्रबंधन गतिविधियों पर नियंत्रण बरकरार रखने के लिए मूलनिवासियों के कानूनी एवं प्रथागत अधिकारों की पहचान कर उन्हें उस हद तक बरकरार रखना होगा, जो उनके अधिकारों, संसाधनों, ज़मीन एवं इलाकों की रक्षा के लिए आवश्यक हो। महत्वपूर्ण है कि मूलनिवासियों द्वारा प्रबंधन गतिविधियों का नियंत्रण किसी तीसरे पक्ष को सौंपे जाने के लिए उनकी स्वैच्छिक, पूर्व एवं सूचित सहमति आवश्यक होगी।

3.3 यदि प्रबंधन गतिविधियों का नियंत्रण किसी और को सौंप दिया जाता है तो स्वैच्छिक, पूर्व एवं सूचित सहमति के माध्यम से संगठन एवं मूलनिवासियों के मध्य एक बंधनकारक समझौता तैयार कर लिया जाएगा। समझौते में उसकी अवधि, पुनः वार्ता प्रावधान, नवीनीकरण, समाप्ति, आर्थिक शर्तें व अन्य नियम एवं शर्तें परिभाषित की जानी चाहिए।

सिद्धांत 3: मूलनिवासियों के अधिकार (जारी)

3.4 संगठन को मूलनिवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र (2007) व आयएलओ समझौते 169 (1989) में परिभाषित मूलनिवासियों के अधिकारों, प्रथाओं व संस्कृति की पहचान कर उसे बरकरार रखना चाहिए।

3.5 संगठन को मूलनिवासियों के साथ मिलकर उन खास सांस्कृतिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक महत्वपूर्ण जगहों की पहचान कर लेनी चाहिए, जिनके लिए इन मूलनिवासियों के कानूनी अथवा प्रथागत अधिकार हैं। संगठन को इन साइटों की पहचान कर इन मूलनिवासियों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा पर सहमति बना लेनी चाहिए।

3.6 संगठन को मूलनिवासियों के अपने पारंपरिक ज्ञान की रक्षा एवं उपयोग के अधिकार को बरकरार रखते हुए मूलनिवासियों को अपने इस ज्ञान व उनकी बौद्धिक सम्पदा का उपयोग करने के लिए क्षतिपूर्ति देना चाहिए। स्वैच्छिक, पूर्व व सूचित सहमति के माध्यम से इस उपयोग के लिए संगठन व मूलनिवासियों के बीच एक बंधनकारक समझौता (मानदंड 3.3 के अनुसार) तैयार किया जाना चाहिए।

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

सामाजिक पहलू (जारी)

सिद्धांत 4: सामुदायिक संबंध

प्रमाणित संगठन को बातचीत करने, रोज़गार अवसर पैदा करने व नकारात्मक प्रभावों को कम करने जैसे उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बरकरार रखने या उसमें सुधार लाने में अपना योगदान देना चाहिए।

मानदंड:

4.1 संगठन को प्रबंधन इकाई में रहने वाले व प्रबंधन गतिविधियों से प्रभावित स्थानीय समुदायों की पहचान कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात् संगठन को इन समुदायों के साथ मिलकर भूसंपत्ति के उनके अधिकारों व वन संसाधनों और इकोसिस्टम सेवाओं की उनकी पहुँच और उपयोग के अधिकारों की पहचान कर लेनी चाहिए। साथ ही, संगठन को प्रबंधन इकाई में लागू होने वाले उनके प्रथागत अधिकारों व कानूनी अधिकारों की भी पहचान कर लेनी चाहिए।

4.2 संगठन को प्रबंधन इकाई के अंदर या फ़िर उससे संबंधित प्रबंधन गतिविधियों के नियंत्रण का प्रबंधन करने के स्थानीय समुदायों के कानूनी और प्रथागत अधिकारों की पहचान कर उन्हें उस हद तक बरकरार रखना चाहिए, जहाँ तक उनके अधिकारों, संसाधनों, भूमि व इलाके की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो। स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधन गतिविधियों के नियंत्रण को किसी अन्य पक्ष को सौंपे जाने के लिए स्वैच्छिक, पूर्व व सूचित सहमति अनिवार्य होगी।

4.3 संगठन को स्थानीय समुदायों, ठेकेदारों व आपूर्तिदारों को रोज़गार, प्रशिक्षण व अन्य सेवाओं के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए।

संगठन को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को लागू करना चाहिए, जो उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।

सिद्धांत 4: सामुदायिक संबंध

4.5 संगठन को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर प्रभावित समुदायों पर उसकी प्रबंधन गतिविधियों के भारी नकारात्मक सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक प्रभावों की पहचान कर उनकी रोकथाम व उनमें कमी लाने के उपाय करने चाहिए।

4.6 संगठन को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर प्रबंधन गतिविधियों के प्रभावों के संबंध में स्थानीय समुदायों एवं व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने चाहिए व उन्हें उचित क्षतिपूर्ति देनी चाहिए।

4.7 संगठन को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर उन जगहों की पहचान कर लेनी चाहिए, जिनकी खास सांस्कृतिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक, धार्मिक अथवा आध्यामिक अहमियत है, व जिनपर इन स्थानीय समुदायों के कानूनी अथवा प्रथागत अधिकार हैं। संगठन को इन जगहों की पहचान कर लेनी चाहिए व इन स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर सुरक्षा पर एक सहमति बना लेनी चाहिए।

4.8 संगठन को स्थानीय समुदायों के अपने ज्ञान की रक्षा व उसका उपयोग करने के उनके अधिकार को बरकरार रखना चाहिए। उनके इस ज्ञान व बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए उसे स्थानीय समुदायों को क्षतिपूर्ति देना चाहिए। स्वैच्छिक, पूर्व व सूचित सहमति के माध्यम से इस उपयोग के लिए संगठन और मूलनिवासियों के बीच एक बंधनकारक समझौता (मानदंड 3.3 के अनुसार) बना लिया जाना चाहिए।

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

सामाजिक पहलू (जारी)

सिद्धांत 8: निगरानी और मूल्यांकन (सामाजिक)

प्रमाणित संगठन को अपनी गतिविधियों के सामाजिक प्रभाव की निगरानी कर उनका मूल्यांकन कर लेना चाहिए व इस निगरानी के नतीजों को संक्षेप में सार्वजानिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।

मानदंड:

8.1 संगठन को अपनी नीतियों एवं उद्देश्यों, प्रगति और लक्ष्य पूर्ति सहित अपनी प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए।

8.2 संगठन को प्रबंधन इकाई में की जाने वाली गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण के हालातों में आने वाले बदलावों के सामाजिक प्रभावों की निगरानी कर उनका मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

8.3 संगठन को निगरानी एवं मूल्यांकन के नतीजों का विश्लेषण कर योजना प्रक्रिया में इन परिणामों का उपयोग करना चाहिए।

8.4 संगठन को निगरानी के नतीजों को संक्षेप में सार्वजानिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए (लेकिन गोपनीय जानकारी को इससे बाहर रखा जाना चाहिए)।

8.5 संगठन को अपनी प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने, तीव्रता एवं जोखिम के अनुपात में एक ट्रैकिंग और ट्रेसिंग प्रणाली लागू करनी चाहिए। इस प्रणाली में FSC प्रमाणित के तौर पर विपणन किए गए प्रबंधन इकाई के सभी उत्पादों के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुमानित तैयार उत्पादनों के अनुपात में कच्चे माल के स्रोत और मात्रा को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

प्रबंधन-संबंधी/आर्थिक पहलू

सिद्धांत 5: वन के फायदे

दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता व पर्यावरणीय एवं सामाजिक फायदों को बरकरार रखने अथवा उनमें सुधार लाने के लिए प्रबंधित संगठन निर्मित उत्पादों एवं सेवाओं का कारगर ढंग से प्रबंधन करेगा। साथ ही वह, उत्पादों की उपज और सेवाओं को स्थायी रूप से जारी रखे जाने के स्तर पर या फ़िर उस स्तर से कम स्तर में प्रयोग करेगा।

मानदंड:

5.1 संगठन को प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने और तीव्रता के अनुपात में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर उसमें विविधता लाने के लिए प्रबंधन इकाई में मौजूद संसाधनों की श्रेणी एवं इकोसिस्टम सेवाओं के आधार पर विविध लाभ और/या उत्पादों की पहचान करनी होगा, उनका निर्माण करना होगा, अथवा उनके निर्माण को चालू करना होगा।

5.2 संगठन को सामान्यतः प्रबंधन इकाई से उत्पादों की उपज और सेवाओं को स्थायी रूप से जारी रखे जाने के स्तर पर या फ़िर उस स्तर से कम स्तर में प्रयोग करेगा।

5.3 संगठन को यह दिखाना होगा कि उसके कार्यों के सकारात्मक एवं नकारात्मक बाहरी पहलुओं (प्रभावों अथवा परिणामों) को प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है।

5.4 संगठन को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध स्थानीय रुप से प्रक्रिया करना, स्थानीय सेवाओं व स्थानीय मूल्यों का उपयोग करना चाहिए। यदि ये चीज़ें स्थानीय तौर पर अनुपलब्ध हों तो संगठन को इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए।

सिद्धांत 5: वन के फायदे

5.5 संगठन को योजना और व्यय के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी।

प्रबंधन-संबंधी/आर्थिक पहलू (जारी)

सिद्धांत 7: प्रबंधन-संबंधी योजना

प्रमाणित संगठन की प्रबंधन योजना उसकी नीतियों व उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। इस प्रबंधन योजना को अप-टू-डेट रखा जाना चाहिए व इसे अनुकूलि प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। यह प्लैन स्टाफ का मार्गदर्शन करने, हिस्सेदारों को सूचित करने व प्रबंधन के निर्णयों को सही ठहराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

मानदंड:

7.1 संगठन को अपनी प्रबंधन गतिविधियों के पैमाने, तीव्रता व जोखिम के अनुकूल अपने प्रबंधन की नीतियाँ (यानी कि अपने नजरिया व मूल्य) और उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। इन्हें पर्यावरण के लिए उपयुक्त, सामाजिक तौर पर फायदेमंद व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। इन नीतियों और उद्देश्यों के सारांश को प्रबंधन योजना में शामिल कर उसका प्रचार किया जाना चाहिए।

7.2 संगठन को प्रबंधन इकाई के लिए एक ऐसी प्रबंधन योजना को लागू करना चाहिए, जो मानदंड 7.1 में स्थापित उसकी नीतियों व उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप हो। प्रबंधन योजना को प्रबंधन इकाई में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करना चाहिए व यह बताना चाहिए कि यह योजना FSC प्रमाणन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगी।

सिद्धांत 7: प्रबंधन-संबंधी योजना (जारी)

7.3 प्रबंधन योजना में सत्यापित किए जा सकने वाले वे लक्ष्य शामिल होंगे, जो निर्धारित प्रबंधन उद्देश्यों की दिशा में की गई प्रगति का आकलन करने की अनुमति देते हैं।

7.4 संगठन को निगरानी और मूल्यांकन नतीजों, हिस्सेदारों के सहयोग अथवा नयी वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी को शामिल करने और बदलते पर्यावरणीय , सामाजिक एवं आर्थिक हालातों के अनुकूल बनने के लिए योजना एवं प्रक्रियात्मक दस्तावेज़ों को समय-समय पर अद्यतन कर उन्हें संशोधित करना होगा।

7.5 संगठन को प्रबंधन योजना का एक सारांश बना लेना चाहिए, जो कि सार्वजानिक तौर पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध होगा। गोपनीय जानकारी को छोड़कर, प्रबंधन योजना के अन्य प्रासंगिक घटकों को प्रभावित हिस्सेदारों के अनुरोध पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

7.6 संगठन को सक्रिय एवं पारदर्शी रूप से प्रभावित हिस्सेदारों को अपनी प्रबंधन योजना व निगरानी प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए और इच्छुक हिस्सेदारों के अनुरोध पर उनसे सहयोग करना चाहिए।

प्रबंधन-संबंधी/आर्थिक पहलू (जारी)

सिद्धांत 10: प्रबंधन गतिविधियों का कार्यान्वयन

सभी प्रबंधन गतिविधियों को प्रमाणित संगठन की आर्थिक, पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के अनुरूप व FSC के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुकूल होना चाहिए।

मानदंड:

10.1 कटाई के पश्चात् अथवा प्रबंधन योजना के अनुसार, संगठन को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पुनर्जनन विधियों के माध्यम से वनस्पति कवर को समय पर कटाई से पूर्व की अवस्था अथवा अधिक प्राकृतिक अवस्था में पुनः उत्पन्न कर देना चाहिए।

सिदधांत 10: प्रबंधन गतिविधियों का कार्यान्वयन (जारी)

10.2 संगठन को इकोलॉजिकल तौर पर साइट एवं प्रबंधन उद्देश्यों के अनुकूल प्रजातियों के पुनर्जनन के लिए उपयोग करना चाहिए। संगठन को पुनर्जनन के लिए देशी प्रजातियों व स्थानीय अनुवांशिक प्रकारों का उपयोग करना चाहिए, बशर्ते किसी अन्य प्रजाति एवं अनुवांशिक प्रकार को उपयोग करने का कोई स्पष्ट और ठोस औचित्य न हो।

10.3 संगठन को विदेशी प्रजातियों का उपयोग केवल तभी करना चाहिए, जब ज्ञान और अनुभव से यह सिद्ध होता हो कि किसी भी आक्रामक प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकेगा व प्रभावी शमन उपाय मौजूद हैं।

10.4 संगठन को प्रबंधन इकाई में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

10.5 संगठन को वनस्पति, प्रजातियों, साइटों व प्रबंधन उद्देश्यों के लिए इकोलॉजिकल रूप से उपयुक्त सिल्वीकल्चर प्रथाओं का उपयोग करना चाहिए।

10.6 संगठन को उर्वरकों का उपयोग कम या फ़िर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उर्वरकों का उपयोग करने की स्थिति में संगठन को यह दिखाना चाहिए कि इकोलॉजिकल व आर्थिक तौर पर उनका उपयोग उर्वरकों के बिना ही काम करने वाली सिल्वीकल्चर प्रणालियों के जितना ही या फ़िर उससे भी अधिक फायदेमंद है। संगठन को मिट्टी समेत पर्यावरणीय मूल्यों को पहुँचने वाले किसी भी नुकसान की रोकथाम, उसे कम करना और/या उसकी मरम्मत करनी चाहिए।

10.7 संगठन को रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से बचाने वाले या फ़िर उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखने वाले एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन व सिल्वीकल्चर प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। संगठन को FSC नीतियों के तहत निषिद्ध किसी भी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों का इस्तेमाल किए जाने पर संगठन को पर्यावरणीय मूल्यों व मानव स्वास्थ्य को होने वाले किसी भी नुकसान की रोकथाम, उसे कम करना, और/या उसकी मरम्मत करनी चाहिए।

सिदधांत 10: प्रबंधन गतिविधियों का कार्यान्वयन (जारी)

10.8 संगठन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक शिष्टाचार के अनुसार जैविक नियंत्रण एजेंटों को कम कर उनकी निगरानी करते हुए उन्हें सख्ती से नियंत्रित करना होगा। जैविक नियंत्रण एजेंटों का उपयोग किए जाने पर संगठन को पर्यावरणीय मूल्यों को पहुँचने वाले किसी भी नुकसान की रोकथाम, उसे कम करना और/या उसकी मरम्मत करनी होगी।

10.9 संगठन को जोखिमों का मूल्यांकन कर प्राकृतिक खतरों के संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाली गतिविधियों को लागू करना होगा।

10.10 संगठन को जल संसाधनों एवं मिट्टी की रक्षा हेतु आधारभूत संरचना विकास, परिवहन गतिविधियों एवं वन-संवर्धन का प्रबंधन करना होगा, व दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों, आवासों, इकोसिस्टमों और लैंडस्केप मूल्यों को हर तरह की छेड़छाड़ या फ़िर उन्हें पहुँचने वाले किसी भी नुकसान की रोकथाम, उसे कम करना और/या उसकी मरम्मत करनी होगी।

10.11 संगठन को लकड़ी एवं गैर-लकड़ी वन उत्पादों की कटाई और निष्कर्षण से जुड़ी गतिविधियों को प्रबंधित करना होगा ताँकि पर्यावरणीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके, विक्रेय अपशिष्ट पदार्थों को कम किया जा सके और अन्य उत्पादों एवं सेवाओं को पहुँचने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

10.12 संगठन को अपशिष्ट पदार्थों का पर्यवरण के अनुकूल ढंग से निपटान करना चाहिए।

FSC की अहम वानिकी नीतियाँ और मानक

राष्ट्रीय और स्थानीय वन दीवानी प्रबंधक मानक

FSC के सिद्धांत ज़िम्मेदार वन प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैश्विक मानक हैं। लेकिन विश्वभर के वनों की विविध कानूनी, सामाजिक, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों को ठीक से प्रतिबिंबित करने के लिए इस मानक को स्थानीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

FSC राष्ट्रीय मानक उन अधिकांश देशों में मौजूद हैं, जहाँ हम काम करते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रीय मानक भी हैं – जिनमें आशिया पैसीफ़िक में रहने वाले लघु धारकों के लिए एक नया क्षेत्रीय मानक भी शामिल है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय सामान्य संकेतकों के माध्यम से विकसित किया जाता है, जिनके फलस्वरूप हम अपने सिद्धांतों एवं मानदंडों को विश्वभर में समान रूप से लागू कर पाते हैं।

परिवर्तन नीति

नीति

1994 में हमारी स्थापना के बाद से **FSC** ने अनेक मानकों व प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक वनों के वृक्षारोपण में परिवर्तन को प्रतिबंधित कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती खपत बचे-खुचे वन-संबंधी इकोसिस्टमों को ज़मीन के अन्य उपयोगों में परिवर्तित करने के दबाव को बढ़ा रही है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने व जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए खराब हो चुके इकोसिस्टम की बहाली को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है।

FSC की परिवर्तन नीति FSC को अन्य संस्थाओं के साथ काम करते हुए वनों की कटाई और परिवर्तन पर रोक लगाकर वनों के संरक्षण, बहाली और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ "परिवर्तन" की परिभाषा एवं व्याख्या के एकरूप उपयोग को सुनिश्चित करने एवं परिवर्तन के कारण होने वाले सामाजिक और इकोलॉजिकल नुकसान के स्थायी, न्यायसंगत और कारगर उपाय लागू कराने वाला एक ढाँचा प्रदान करती है।

साथ काम करने की नीति

साथ काम करने की नीति

FSC विश्व के वनों के पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयुक्त, सामाजिक दृष्टिकोण से लाभकारी व आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। FSC की उन संगठनों के साथ काम न करने की नीति है, जो अस्वीकरणीय वन-संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं। काम करने की अपनी इस नीति के माध्यम से FSC वनों के ज़िम्मेदार प्रबंधन का पालन न करने वाले संगठनों की पहचान कर उन्हें FSC के साथ अपने सहयोग का गलत फायदा उठाने से रोकता है। FSC की यह नीति उसके ब्रैंड को प्रतिष्ठा से जुड़े उन जोखिमों से भी बचाती है, जिनका संबंध हमारे बुनियादी मूल्यों के विपरीत जाने वाली गतिविधियों में शामिल होने से है।

छोटे और कम गहनता वाले प्रबंधित वन (एसएलआयएमएफ)

छोटे और कम गहनता वाले प्रबंधित वन, जिन्हें एसएलआयएमएफ कहा जाता है, **FSC** की विश्व के अहम अंग हैं व आशिया के आसपास मौजूद वनों में ये काफ़ी अहमियत रखते हैं। एसएलआयएमएफ या तो छोटी-छोटी वन प्रबंधन इकाइयाँ होती हैं (आकार में 100 हेक्टर से कम) या फ़िर इन्हें कम गहनता वाली वन प्रबंधन इकाइयों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

FSC इस बात को समझता है कि छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए प्रमाणन की लागत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है व यह कि छोटे व्यवसायों के पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम ही होते हैं। एसएलआयएमएफ के लिए प्रमाणन लागत को कम करने के लिए FSC प्रमाणन संस्थाओं को सरल प्रमाणन प्रक्रियाओं के माध्यम से इन वनों का आकलन कर इनकी रिपोर्ट देने की अनुमति देता है।

समूह प्रमाणन

कुछ मामलों में **FSC** प्रमाणन के प्रशासनिक व आर्थिक पहलू छोटे पैमाने वाले ऑपरेशनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन संस्थाओं को FSC प्रमाणन प्राप्त कर उसे कायम रखने में मदद करने के लिए अलग-अलग वन मालिकों की प्रबंधन इकाइयों को एक साथ समूहित किया जा सकता है। इस समूह को एक समूह संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके पास पूरे समूह के लिए एक FSC प्रमाण-पत्र होता है।

समूह प्रमाणन से सेवाएँ प्राप्त कर बाज़ारों तक पहुँचने के लिए लागत को कम कर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। समूहों के सदस्यों के लिए प्रशासनिक कार्य भी कम हो जाते हैं, क्योंकि समूह संस्था विभिन्न कार्य समूह के विभिन्न हिस्सों को आवंटित कर सकती है – इससे प्रत्येक समूह को एक सही संरचना व जिम्मेदारियों के विभाजन को खोजने के लिए पर्याप्त लचीलापन मिल जाता है। संसाधन प्रबंधन इकाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं, जिनमें प्रबंधन इकाइयों की ज़िम्मेदारी एक संसाधन प्रबंधक को सौंप दी जाती है।

बाँस के वस्त्र और गैर-लकड़ी वन उत्पाद

वनों से फर्नीचर, निर्माण सामग्री, लुगदी और कागज़ से कहीं अधिक "सर्वसामान्य" वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। तकनीक की मदद से अब वन उत्पाद कम संधारणीय उत्पादों की जगह लेने लगे हैं। FSC प्रमाणन इस बात की एक और ज़मानता होती है कि जिन वनों से ये उत्पाद आए हैं, उन्हें ज़िम्मेदार ढंग से प्रबंधित किया जाता है।

गैर-लकड़ी वन उत्पादों के उदाहरणों में रेऑन, विस्कोज़, मोडैल या लियोसैल जैसे वन-आधारित कपड़े शामिल हैं, जो अक्सर बाँस से बनाए जाते हैं व जिनका फैशन उद्योग में काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है। इसमें रबर भी शामिल है, जो रबर के पेड़ के सार से प्राप्त होती है। अधिकतर प्राकृतिक रबर अब दक्षिण व दक्षिण-पूर्व आशिया में मौजूद बागानों से आती है। हालांकि इन पेड़ों को मुख्यतः लेटेक्स के लिए ही उगाया जाता है, इनसे उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी भी प्राप्त होती है। रबर की लकडी का बाज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है – इसका उपयोग फर्नीचर से लेकर निर्माण तक व निर्माण से लेकर बायोमास तक, हर जगह होता है।

गैर-लकड़ी वन उत्पादों के लिए लघु धारक व समूह प्रमाणन की तैयारी करना

एफएससी-एसटीडी-01-003

यदि किसी संगठन के पास पहले से ही **FSC** प्रमाणन तो वह गैर-लकड़ी वन उत्पादों को अपने प्रमाणन के दायरे में शामिल करने का अनुरोध कर सकता है।
यदि आपके संगठन के पास FSC प्रमाणन नहीं है तो कृपया FSC **-एसटीडी-01-003** में एसएलआयएमएफ योग्यता मानदंडों पर एक नज़र डाल लें।

ध्यान दें कि जब कोई लघु धारक FSC FM मानक का उपयोग करता है, तो वह लघु धारकों व सामान्य संगठन, दोनों ही पर लागू होने वाले मानदंडों का उपयोग कर सकता है, जिन्हें "S" से चिह्नित किया जाता है। "L" से चिह्नित किए गए मानदंड केवल बड़े संगठनों के लिए ही होते हैं।

एफएससी-एसटीडी-30-005

गैर-लकड़ी वन उत्पादों के लिए समूह प्रमाणन का आवेदन करने की इच्छा रखने वाले संगठन FSC **-एसटीडी-30-005** में उपर्युक्त समूह प्रमाणन पर दी जानकारी को पढ़ सकते हैं।

जिन देशों में राष्ट्रीय वन प्रमाणन मानक (एनएफएसएस) पहले से ही लागू हैं, उन्हें अपने-अपने एनएफएसएस में दिए लघु धारकों पर लागू होने वाले मानदंडों का उपयोग करना चाहिए।

FSC एक स्थानीय वन स्टीवर्डशिप मानक (RFSS) भी तैयार कर रहा है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम समेत आशिया पैसीफ़िक क्षेत्र में मौजूद लघु धारकों (आकार में 20 हेक्टर या उससे कम) के लिए अधिक विकल्प तैयार हो जाएँगे और वे FSC वन प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त कर सकेंगे। यह आरएफएसएस 2021 के अंत या फ़िर 2022 के आरंभ में प्रकाशित होगा।

प्रमाणन-संबंधी अन्य महत्त्वपूर्ण बातें

FSC नियंत्रित लकडी

नियंत्रित लकडी FSC प्रमाणित नहीं होती। लेकिन नियंत्रित लकडी के मानक वन प्रबंधन व्यवसायों को कंपनी अथवा किसी प्रमाणन संस्था को यह दिखाने की अनुमति देती है कि उनके द्वारा आपूर्तिकृत लकड़ी को नियंत्रित किया गया है व वह लकड़ी की उन श्रेणियों की आपूर्ति नहीं करते, जिन्हें FSC एमआयएक्स लेबल वाले उत्पादों में मौजूद FSC प्रमाणित लकड़ी के साथ मिलाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता।

निम्नलिखित मानक दर्शाते हैं कि कोई व्यवसाय निम्नलिखित प्रकार की लड़की का इस्तेमाल नहीं करता:

- **गैरकानूनी ढंग से काटी गई लकड़ी**
- **पारंपरिक एवं नागरिक अधिकारों के उल्लंघन में काटी गई लकड़ी**
- **उन प्रबंधन इकाइयों में काटी गई लकड़ी, जहाँ उच्च संरक्षण मूल्यों को प्रबंधन गतिविधियों से खतरा है**
- **उन इलाकों में काटी गई लकड़ी जहाँ वनों को बागानों अथवा गैर-वन उपयोग में परिवर्तित किया जा रहा है**
- **उन वनों से काटी गई लकड़ी, जहाँ अनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ लगाये गए हैं**
- **उन वनों से काटी गई लकड़ी, जहाँ अनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ लगाये गए हैं**

30-010

एफएससी नियंत्रित लकडी पर अधिक जानकारी के लिए कृपया एफएससी-**एसटीडी-30-010** मानक को देखें।

एफएससी-
पीआरओ- 30-006

FSC इकोसिस्टम सेवाएँ ढाँचा

इस ढाँचे का उपयोग वन प्रबंधकों द्वारा प्रभावों की पुष्टि कर FSC इकोसिस्टम सेवाओं के दावों को मंज़ूरी देना होता है, जिनमें जैव विविधता, कार्बन, जल, मिट्टी व मनोरंजन शामिल हैं। इसका उपयोग इकोसिस्टम सेवा बाज़ारों तक पहुँचकर आय में बढ़ोतरी लाने के लिए किया जा सकता है। यह प्रतिबद्धता FSC के बाजार मूल्य को बढ़ाने की बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है।

FSC व उसके भागीदारों द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान, अध्ययन एवं प्रारंभिक परीक्षण इस बात की पुष्टि करते है कि कई वन प्रबंधक FSC प्रमाणन के स्थल-स्तरीय प्रभावों के बारे में लोगों को बताने में दिलचस्पी रखते हैं व यह कि कंपनियाँ वन प्रबंधन मानक के अनुपालन की पुष्टि से भी आगे जाकर इकोसिस्टम सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के सत्यापन के लिए भुगतान करने को तैयार हैं।

इकोसिस्टम सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए **FSC -पीआरओ-30-006** FSC मानक देखें।

The mark of
responsible forestry